N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0209 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/09/2024 18:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 20/09/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:10 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/09/2024 **Time (समय):** 16:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/09/2024 18:06:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** osiya jodhpur, karyalya shayak abhiyanta, jan swasthya abhiyantriki vibh

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** nainaram

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Achlaram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	jasnathpura, osian, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	jasnathpura, osian, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	rajendra goyal		पिता:devilal	1. f 37,ambedkar park ke piche,jodhpur,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो जोधपुर ग्रामीण विषयः- रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन हैं कि मैं नैनाराम पुत्र अचलाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी जसनाथपुरा पोस्ट थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर का रहने वाला हूं मै दिसम्बर 1991 से पी.एच.ई.डी. विभाग में हेल्पर के पद पर पर कार्यरत हूं। तथा वर्तमान में मेरा पदस्थापन गांव थोब में है, मैं थोब में ट्युवेल नं. 01 व 02 का संचालन करता हूं । मेरे ओसियां स्थित पी.एच.ई.डी ए ई एन आंफिस में ओ ए श्री राजेन्द्र गोयल कार्यरत है, जिसने मुझे बताया कि आपके वर्ष 2013 से एक वेतन वृद्वि ज्यादा लगी हुई है। जिसकी रिकवरी करीब एक लाख दो हजार रूपये बन रही है। तथा आपकी सेवा के 27 वर्ष पूर्ण होने की ए.सी.पी. दिसम्बर 2018 में लगनी थी परन्तु उक्त ए.सी पी आदेश वर्ष 2024 में हुआ है जिसका एरियर करीब चालीस हजार रू बनेगा इस प्रकार चालीस हजार रूपये का एरियर तथा चालीस हजार रूपये का में एडजेस्टमेट कर दूंगा शेष 20-22 हजार रूपये का वेतन भुकतान की रिकवरी करनी पडेगी अतह आप मुझे आपके ए सी पी का एरियर बनाने तथा चालीस हजार रूपये का जो मैं एडजेस्टमेन्ट करूंगा उसके बदले दस हजार रूपये देने पडेगे इस प्रकार ओ एं राजेन्द्र गोयल रिकवरी एडजेस्टमेन्ट व एरियर बनाने के मुझसे दस हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है मैं अपने जायज काम के लिए ओ ए राजेन्द्र गोयल को रिश्वति राशि नहीं देना चहाता हूं मेरी व राजेन्द्र गोयल की कोई आपसी अनबन या पैसो की लेन-देन नहीं है। मैं रिपोर्ट देता हूं कानुनि कार्यवाही करावें। दिनांकः- 5-9-2024 भवदीय एसडी नैनाराम S/O अचलाराम निवासी जसनाथपुरा पोस्ट थोब ओसियां जिला जोधपुर [redacted] कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि दिनांक 05.09.2024 को वक्त 2.00 पी.एम. पर कार्यालय हाजा में मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष परिवादी श्री नैनाराम पुत्र पुत्र अचलाराम, जाति जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी जसनाथपुरा, पोस्ट थोब, ओसियां, जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश कर दरियाफ्त कर बताया कि मैं दिसम्बर 1991 में पी.एच.ई.डी. विभाग में हेल्पर के पद पर कार्यरत हूं मेरे ओसियां स्थित ए.ईन. पी.एच.ई.डी. कार्यालय में राजेन्द्र गोयल ओ.ए. कार्यरत है, जो मेरे से 2013 में एक वेतनवृद्धि ज्यादा लगने के कारण उसकी रिकवरी एडजेस्टमेन्ट व मेरी 27 वर्ष की ए.सी.पी. का वेतन एरियर के बदले 10,000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मजमून से मामला भ्र.नि.अ. (पी.सी. एक्ट) 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन व अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 3.30 पी. एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री अमरसिंह कानि. 415 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री अमरसिंह कानि. 41 से परिवादी श्री नैनाराम का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री नैनाराम एवं श्री अमर सिंह कानि को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी व श्री अमरसिंह कानि. के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री नैनाराम ने बताया कि आज काफी समय हो चुका है, आज श्री राजेन्द्र गोयल ओए का अब मिलना मुशिकल है आईन्दा श्री राजेन्द्रजी अपने कार्यालय में उपस्थित होने पर मैं आपको सुचित कर दुंगा। जिस पर परिवादी श्री नैनाराम को आवश्यक गापनीयता बरतने एवं संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल ओए की उपस्थिती के बारे में मालुमात होने पर शिघ्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे ताकि श्री अमरसिंह कानि. को आपके पास भेज कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाई जाने से सम्बन्धि हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 10.09.2024 को वक्त 9.30 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को श्री अमरसिंह कानि. 415 ने कार्यालय मे उपस्थित होकर बताया कि वक्त 9.27 एएम पर परिवादी श्री नैनाराम ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल फोन पर कर बताया कि श्री राजेन्द्र जी गोयल ओए साहब आज अपने कार्यालय में उपस्थित आने वाले है। आप आ जाना मैं आपको ओसिया के रोडवेज बस स्टेण्ड पर मिल जाउंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे कार्यालय का डिजिटल वांयस रिकार्ड निकालकर उसमे नया मेमोरी कार्ड डाल कर उक्त डिजिटल वांयस रिकार्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वांयस रिकार्डर श्री अमरसिंह कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री नैनाराम से सम्पर्क कर आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल ओए एवं परिवादी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने की हिदायत देकर

ओसियां के लिए रवाना किया गया। वक्त 11.55 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को श्री अमरसिंह कानि. 415 ने अपने मोबाईल फोन से मेरे मोबाईल पर कांल कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर जरिये बस ओसिंया पहुंचा जहां पर परिवादी श्री नैनाराम अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला जिस पर मैने परवि◌ादी श्री नैनाराम से संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिती एवं उसके कार्यालय के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी श्री नैनाराम ने मेरे को बताया कि मैने मेरे स्तर पर पता किया है श्री राजेन्द्रजी अपने कार्यालय में ही है। जिस पर मैं व श्री नैनाराम परिवादी उसकी मोटरसाईकिल से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियन्ता पीएचईडी ओंसियां के पास पहुच कर मोटरसाईकिल को एक तरफ रोक कर मैने डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चालु कर परिवादी श्री नैनाराम के पहने हुए कमीज के सामने की उपर की बांई जेब में डालकर कार्यालय सहायक अभियन्ता पीएचईडी ओंसियां के लिए मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री नैनाराम मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मैने डिजिटल वायॅस रिकार्डर लेकर स्विच आफॅ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मेरे को बताया कि मैं श्री राजेन्द्रजी गोयल ओए साहब से उनके आंफिस के कमरे में जाकर मिला तथा मेरे बकाया वेतन एरियर के बिल बनाकर भिजवाने एवं पास करवाने के सम्बन्ध में बातचीत की जिस पर श्री राजेन्द्रजी ने मेरे से मेरे एरियर बिल बनाकर पास करवाने की एवज में 10,000/-रू. की मांग की मेरे द्वारा कुछ कम करने का निवेदन किया परन्तु उन्होने कम नही किये पुरे दस हजार रू. लेने हेतु अडे रहे जिस पर मैने उक्त दस हजार रू. आईन्दा देने बाबत कहा जिस पर श्री राजेन्द्रजी ने कहा अब तो आगे चार दिन की छुट्टिया आ रही है उसके बाद दस हजार रू. बाद में लेने हेतु सहमत हुए है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अमरसिंह कानि. को निर्देशित किया कि परिवादी श्री नैनाराम को गोपनीयता बरतने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यस्था हो जाने पर सुचित करने की हिदायत देकर वही पर छोडा जाने एवं कार्यालय डिजिटल वायॅस रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये । तत्पश्चात वक्त 2.30 पी.एम. पर श्री अमरसिंह कानि. 415 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वायॅस रिकार्डर स्विच आफॅ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय को डिजिटल वायॅस रिकार्डर चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से उसके वेतन एरियर के बिल बना कर पास करवाने तथा रिकवरी एडजेस्टमेन्ट करने की एवज में 10,000/-रू. रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वायॅस रिकार्डर को स्विच आफॅ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 18.09.2024 को वक्त 7.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य ट्रेप कार्यवाही में व्यस्त एवं कार्यालय से बाहर होने के दौरान वक्त करीब 6.53 पी.एम. पर परिवादी श्री नैनाराम ने अपने मोबाईल फोन नं. [redacted] से मेरे मोबाईल फोन पर बताया कि मेरे पास श्री राजेन्द्रजी गोयल ओए को रिश्वत में दी जाने वाले राशि की व्यवस्था हो गई है तथा श्री राजेन्द्रजी कल दिनांक 19.09.2024 को अपने कार्यालय में उपस्थित मिल सकते है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 19.09.2024 को सुबह कार्यालय में रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपने साथ लेकर आने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को जरिये मोबाईल कालॅ कर दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी की जाने हेतु निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने पर तलब शुदा दो कर्मचारी उपस्थित मिले जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय उक्त दोनो गवाहान को दिया जाकर उनका परिचय बारी-बारी से प्राप्त किया तो अपना नाम श्री सांवरमल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम, पोस्ट दुगोली, तहसील व पुलिस थाना धोद जिला सीकर हाल पुस्तकालय सूचना सहायक कार्यालय निदेशक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] एवं श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति माली उम्र 27 वर्ष निवासी रींगस जिला सीकर हाल तकनिकी सहायक कार्यालय निदेशक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] होना बताया। वक्त 8.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा पर उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल पुस्तकालय सूचना सहायक एवं श्री अशोक कुमार तकनिकी सहायक कार्यालय निदेशक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर को बुलाने के मन्तवय से अवगत करवाया जाकर कल दिनांक 19.09.2024 को वक्त 9.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने एवं गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत दी जाकर रूखस्त दी गई दिनांक 19.09.2024 को वक्त 9.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल पुस्तकालय सूचना सहायक एवं श्री अशोक कुमार तकनिकी सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। वक्त 9.40 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण की माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट जोधपुर जिला में सरकार बनाम रामनारायण बगैरा में तारीख पेशी होने एवं दिनांक 20.092024 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 233/ 22 मे तलब होने से श्रीमति अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर प्रकरण से सम्बन्धित परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं दिनांक 10.09.2024 को हुई परिवादी श्री नैनाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल ओए के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वायॅस

रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है को अपने अभिरक्षा से निकालकर श्रीमति अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर कार्यालय हाजा में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को अपने कक्ष में तलब कर श्रीमति अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निदेर्शित किया गया। साथ ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमति अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी श्री नैनाराम आज कार्यालय में उपस्थित आयेगा जिससे सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जान सुनिश्चित करें। तत्पश्चात वक्त 10.30 ए.एम. पर मन् अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री नैनाराम द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत, संदिग्ध आरोपी एवं परिवादी के मध्य दिनांक 10.09.2024 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता के डिजिटल वायॅस रिकार्डर एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आई तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यो का विस्तृत अवलोकन कर डिजिटल वायॅस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती राशि की मांग होना पाया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया एवं पढवाई गई तथा डिजिटल वायॅस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता के मुख्य -मुख्य अंश सुनाये गये जिस पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा रिकार्ड वार्ता को सुनकर तथा शिकायत को पढकर तसल्ली करने के पश्चात उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मोखिक स्वीकृति दी तथा परिवादी द्वारा पेश शिकायत पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। वक्त 3.20 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री नैनाराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिस पर मन् अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर परिवादी का पूर्ण परिचय प्राप्त किया तथा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया। परिवादी श्री नैनाराम ने बताया कि मेरे घर पर जरूरी कार्य होने से मैं आज सुबह जल्दी नही आ सका। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यो के बारे में पुछताछ कर पूर्ण तसल्ली की गई। तत्पश्चात कार्यालय हाजा में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी श्री नैनाराम से करवाया गया जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यो के बारे में पुछताछ कर तसल्ली की गई। तत्पश्चात मन् अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू दोनो स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री नैनाराम को रिश्वती राशि के बारे में पुछा जाने पर परिवादी श्री नैनाराम ने बताया कि श्री राजेन्द्रजी गोयल ओए को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रू. अपने साथ लेकर आया हुं। तत्पश्चात वक्त 3.50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री नैनाराम पुत्र श्री अचलाराम जाति जाट उम्र 50 साल निवासी थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि रू0 500-500 के कुल 20 नोट कुल 10,000/- रुपये पहनी हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब से निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान के पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर निम्नानुसार है- क्र.सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7ER 650063 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8QN 884268 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3EC 949182 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0FG 119703 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6CM 785984 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1KR 408105 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7TC 495557 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BG 622650 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9HD 061280 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3HV 854422 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5QK 742327 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4TQ 577429 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8VQ 323534 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9UC 711401 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3FA 431034 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8CG 255740 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0MQ 028146 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4AW 950287 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5TA 322877 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3QF 731828 मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से कार्यालय के मालख़ाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 10,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री नैनाराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री सांवरमल से लिवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 10,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से ही परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. [redacted] से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कालें / कालें अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल सके।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री अचलाराम हैड. कानि. 61 के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। टे॰प सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ़ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री अचलाराम हैड कानि0 61 के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफॅ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास आकस्मिक खर्च के 2000 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर हैड कानि0 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात वक्तः- 4.30 पी.एम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री नैनाराम से आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति के बारे मे गोपनीय रूप से मालुमात करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री नैनाराम ने अपने स्तर पर आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल की अपने कार्यालय ओसिया में मालुमात करवाया गया। परिवादी श्री नैनाराम ने बताया कि श्री राजेन्द्र गोयल आपने कार्यालय में उपस्थित नही है। जिस पर उक्त ट्रेप कार्यवाही आईन्दा कल दिनांक 20.09.2024 को करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्तः- 4.35 पी एम पर परिवादी के बतायेनुसार आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल अपने कार्यालय मे उपस्थित नही हैं अतः परिवादी श्री नैनाराम को सुपुर्द की गई रिश्वती राशि 10,000/- रूपये परिवादी नैनाराम के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री सावरमल पुस्तकालय सूचना सहायक से निकलवाये जाकर एक सफेद कागज में लिपटवा कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अलमारी मे रखा जाकर अलमारी की चाबी मन निरीक्षक पुलिस के पास रखी गई। तत्पश्चात वक्तः- 6.10 पी.एम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल पुस्तकालय सूचना सहायक एवं श्री अशोक कुमार तकनिकी सहायक को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरते तथा कल दिनांक 20.09.2024 को वक्त 8.30 एम पर कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया तथा परिवादी श्री नैनाराम को कल दिनांक 20.09.2024 को वक्त 10.00 एएम पर ओसिया माताजी मंदिर के पास बस स्टेण्ड ओसियां पर उपस्थित मिलने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। साथ ही समस्त स्टाफ को कल दिनांक 20.09.2024 को वक्त 8.30 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांकः- 20.09.2024 को वक्त 8.40 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल पुस्तकालय सूचना सहायक एवं श्री अशोक कुमार तकनिकी सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। वक्तः- 10.20 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व मे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे सफेद कागज मे लपेट कर अलमारी मे रखी हुई रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल पुस्तकालय सूचना सहायक से निकलवाई जाकर, सफेद कागज में लिपटी हुई ही स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल पुस्तकालय सूचना सहायक के पास जेब में सुरक्षित रखवाई गई तत्पश्चात समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफॅ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन निरीक्षक पुलिस के पास आकस्मिक खर्च के 2000 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात मन् अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सांवरमल श्री अशोक कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं ट्रेप सामग्री, लेपटापॅ, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन निरीक्षक पुलिस के स्वंय के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री श्रवणराम से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से

ओसियां की तरफ रवाना हुए। तत्पश्चात वक्तः- 12.15 पी.एम. पर मन् अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सांवरमल श्री अशोक कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि0 13 एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं ट्रेप सामग्री, लेपटापॅ, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर मन निरीक्षक पुलिस के स्वंय के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री श्रवणराम के माताजी मंदिर के पास बस स्टेण्ड ओसियां पहुचें जहां पर पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री नैनाराम अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री नैनाराम को अपने स्तर पर श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति के बारे मे मालूमात करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री नैनाराम अपने स्तर पर श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति के बारे मे मालुमात करना शुरु किया गया। वक्तः- 1.30 पी.एम. पर परिवादी श्री नैनाराम ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति के बारे मे मालूमात किया है। श्री राजेन्द्र गोयल अभी अपने कार्यालय मे उपस्थित हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री नैनाराम की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री सावंरमल से लिवाई जाकर परिवादी के पास अपना मोबाईल फोन एवं मोटर साईकिल की चाबी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि एवं दस्तावेजात नही रहने दिये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री सावरमल के पास सफेद कागज मे लपेटकर रखी हुई रिश्वत राशि को उसकी जेब से निकलवाई जाकर कागज से बाहर निकलवाकर रिश्वती राशि के नोटो को उपर-नीचे करवाया जाकर परिवादी श्री नैनाराम के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रखवाये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सावरमल से उक्त सफेद कागज जिसमे रिश्वत राशि लपेट कर रखी गई थी उक्त सफेद कागज को जला कर नष्ट करवाया गया इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफॅ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र के अतिरिक्त किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। वक्त 1.55 पी.एम पर मन् अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर श्री अमरसिह कानि0 415 को उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप आरोपी के कार्यालय के पास पहुच उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को चालुकर परिवादी को सुपुर्द करे तत्पश्चात परिवादी श्री नैनाराम एवं श्री अमरसिह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के ओसिया मे स्थित कार्यालय के लिये रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन निरीक्षक पुलिस, मय ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान के सरकारी तथा निजी वाहन के रवाना होकर आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर के आस-पास पहुच वाहनो को रोड की साईड मे खडा करवाकर सभी ट्रेप दल अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुए। तत्पश्चात वक्त 2.10 पी एम. पर परिवादी श्री नैनाराम ने पूर्व से निर्धारित गोपनीय इशारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कालॅ कर किया। जिस पर मन् अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सांवरमल व श्री अशोक कुमार, ब्यूरो दल के सदस्य श्री रामकुमार सिंह, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री बचनाराम कानि. 447, हमराह लेकर कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर के मुख्य द्वार पर परिवादी श्री नैनाराम उपस्थित मिला। जिस पर परिवादी श्री नैनाराम को हमराह लेकर परिवादी के बतायेनुसार उक्त कार्यालय के अन्दर बने कमरे मे दो व्यक्ति एवं एक महिला कुर्सी पर बैठे हुए मिले जिनमे से परिवादी श्री नैनाराम ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होने अभी-अभी मेरे से मांग कर 10,000/- रुपये अपने बाये हाथ मे लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे रखे है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वायसॅ रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच आफॅ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वायसॅ रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा हमराहियान का उक्त व्यक्ति को परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री देवीलाल जाति जीनगर उम्र 53 साल पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर एफ-37 अम्बेडकर पार्क के पीछे प्रताप नगर जोधपुर हाल-सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान के परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा कि आप इन्हे जानते हो जिस पर आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल ने बताया कि मै इनको जानता हुं ये श्री नैनाराम हैं बैलदार के पद पर कार्यरत होकर ग्राम थोब मे स्थित ट्युबेलो पर पदस्थापित हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल से पूछा गया कि आपने अभी-अभी श्री नैनाराम से किसी प्रकार की राशि प्राप्त की हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि मैने श्री नैनाराम को कुछ समय पहले घरेलु कार्य के लिये पैसे उधार दिये थे। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री नैनाराम ने आरोपी के उक्त कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि मैने श्री राजेन्द्र गोयल से किसी प्रकार की राशि उधार नही ली थी। इन्होने मेरे वर्ष 2013 मे लगी अधिक वेतन वृद्वि की रिकवरी का एडजेस्टमेन्ट

करने एवं तृतीय एसीपी का एरियर बनाने की एवज मे मेरे 10,000/- रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त की हैं। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। चूंकि उक्त कार्यालय मे अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की उचित व्यवस्था नही होने से व सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना ओसियां जिला जोधपुर मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल को यथा स्थिति में ही मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन मे बैठाकर, परिवादी श्री नैनाराम व स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री सांवरमल एवं अशोक कुमारं ब्यूरो जाब्ता को हमराह लेकर सरकारी वाहन बोलेरो तथा मन निरीक्षक पुलिस की निजी वाहनो से पुलिस थाना ओसियां पहुचे। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित श्री सुरतानसिह उप निरीक्षक पुलिस को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पर करने की सहमति प्राप्त कर रोजनामचा मे आमद दर्ज करवाइ गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के जोधपुर स्थित निवास स्थान के बारे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से पुनः तसल्ली पूर्वक पूछा गया कि आपने परिवादी श्री नैनाराम से आज जो राशि प्राप्त की गई हैं वह राशि किस बात के लिये ली गई हैं तो आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान के बताया कि श्री नैनाराम के वर्ष 2013 से एक वेतन वृद्धि ज्यादा लगी हुई है, जिसकी रिकवरी करीब एक लाख रूपये बन रही थी, तथा इनकी सेवा के 27 वर्ष दिसम्बर 2018 पूर्ण होकर तृतीय एसीपी लगनी थी परन्तु उक्त ए.सी पी आदेश वर्ष 2024 में हुआ था। जिसका एरियर बनाने एवं इनको वेतन से अधिक भुगतान की रिकवरी को एडजेस्टमेन्ट करने की एवंज मे मैने उक्त राशि प्राप्त की हैं। जो मेरे पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी मे रखे हैं, एवं कंहा कि साहब मेरे से गलती हो गई हैं माफ कर दो। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल को पूछा गया कि आप द्वारा परिवादी श्री नैनाराम से प्राप्त की गई राशि मे और किस-किस का हिस्सा हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि उक्त राशि मैने मेरे लिये ही ली हैं उक्त राशि मे अन्य किसी व्यक्ति का कोई हिस्सा नही हैं। तत्पश्चात थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मे पहुच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाक्स से निकालवाकर दोनो गिलासो मे पुलिस थाना मे रखे कैम्पर से पीने का साफ पानी का लौटा भरकर मंगवाया जाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाया गया एवं उक्त प्लास्टिक गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास मे आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के बाये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरवाकर उक्त शिशियो पर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दुसरी घोल के गिलास मे आरोपी राजेन्द्र गोयल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का मटमेला हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त घोल का रंग हल्का मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त हल्के मटमेले धोवन को भी आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियो मे भरवाकर उक्त शिशियो पर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री सांवरमल से आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे 500-500 रूपये के नोटो का एक बण्डल मिला जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल से उक्त नोटो की गिनती करवाई गई तो 500-500 रुपये के कुल 20 नोट कुल 10,000/- रुपये पाये गये। उक्त राशि के अतिरिक्त पेन्ट की उक्त जेब में अन्य कोई राशि, दस्तावेज अथवा अन्य सामान नहीं पाया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री अशोक कुमार को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री सावरमल द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वति राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पहनने हेतु एक अन्य लोअर की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उक्त अन्य लोअर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाक्स से निकलवाकर पुलिस थाना के कैम्पर से साफ पानी का लौटा भरकर मंगवाया जाकर प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब को उलटवाकर उक्त गिलास रंगहीन घोल मे डूबोवाकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त

हल्के गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया तथा उक्त पेन्ट की सामने की बायी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क-पी अंकित किया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही दौरान आरोपी से बरामद हुई रिश्वति राशि 10,000/- रूपये, आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनों हाथो के लिये गये धोवन, आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल से की गई पूछताछ इत्यादि का मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी की गई। उक्त विडियोग्राफी का आईन्दा मैमोरी कार्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री देवीलाल जाति जीनगर उम्र 53 साल पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर एफ-37 अम्बेडकर पार्क के पीछे प्रताप नगर जोधपुर हाल-सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री नैनाराम के वर्ष 2013 मे ज्यादा लगी हुई एक वेतन वृद्धि की रिकवरी की राशि को एडजेस्टमेन्ट करने एवं परिवादी श्री नैनाराम की तृतीय एसीसीपी का एरियर बनाने की एवज मे परिवादी से दिनांक 10.09.2024 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 10,000/-रुपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा आज दिनांक 20.09.2024 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी नैनाराम से 10,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार होना पाया गया है। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन कर आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के जोधपुर स्थित मकान की खाना तलासी हेतु उच्च अधिकारियो को निवेदन किया गया। तत्पश्चात वक्तः- 4.50 पी.एम पर श्री पवन सेवक कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर तलब सुदा पुलिस थाना ओसिया पर उपस्थित हैं जिसे परिवादी श्री नैनाराम के एसीपी आदेश, वेतन एरियर से संबंधित दस्तावेजात तथा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के आवाज की पहचान हेतु दो कार्मिक पुलिस थाना आंसिया भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 5.00 पी एम. पर मन अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री देवीलाल जाति जीनगर उम्र 53 साल पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर एफ-37 अम्बेडकर पार्क के पीछे प्रताप नगर जोधपुर हाल-सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर से की गई पूछताछ व हाथ धोवन कार्यवाही एवं आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब से रिश्वति राशि बरामद होना जिसका लिया गया धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल द्वारा परिवादी श्री नैनाराम के वर्ष 2013 मे ज्यादा लगी हुई एक वेतन वृद्धि की रिकवरी की राशि को एडजेस्टमेन्ट करने एवं परिवादी श्री नैनाराम की तृतीय एसीपी का एरियर बनाने की एवज मे परिवादी से दिनांक 10.09.2024 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 10,000/-रुपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा आज दिनांक 20.09.2024 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी नैनाराम से 10,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार होना पाया गया है। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री देवीलाल जाति जीनगर उम्र 53 साल पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर एफ-37 अम्बेडकर पार्क के पीछे प्रताप नगर जोधपुर हाल-सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त 5.35 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां,पेन्ट का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वायसॅ रिकार्डर इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बाक्स को साथ लेकर कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री सावरमल व श्री अशोक कुमार, परिवादी श्री नैनाराम तथा ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर कानि0 मय सरकारी वाहन बोलेरा व चालक श्री श्रवणराम के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर के लिये रवाना हुई। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल को शेष ब्यूरो जाब्ता की निगरानी मे पुलिस थाना ओसियो पर ही छोडा गया। वक्त 5.45 पी. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर पहुंचकर परिवादी की निशादेही के अनुसार रुबरु गवाहान के फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करना शुरू किया।

वक्त 6.40 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री सांवरमल, श्री अशोक कुमार एवं परिवादी श्री नैनाराम तथा ब्यूरो जाब्ता के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् निरीक्षक पुलिस मय एक स्वतंत्र गवाह श्री सावंरमल एवं श्री रामकुमारसिह कानि. व ओमप्रकाश की दूरी करीब 90 फुट, श्री अमरसिह कानि. की दूरी 60 फुट, शेष अन्य ब्यूरो स्टाफ एवं स्वंतंत्र गवाहान अशोक कुमार की दूरी 80 फुट होना दर्शायी गई है तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान सूर्य एवं बिजली की पूर्ण रोशनी थी। ताबाद घटना मौका स्थल से रवाना होकर पुलिस थाना ओसिया उपस्थित आई। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल को स्वंय के जिम्मे लिया गया। तत्पश्चात वक्तः- 6.50 पी.एम पर श्री पवन सेवक कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी का सेवा विवरण, परिवादी श्री नैनाराम के एसीपी आदेश, वेतन एरियर से संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां पेश की जिसे मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रिकार्ड का अवलोकन कर श्री नैनाराम के एसीपी आदेश, वेतन एरियर से संबंधित दस्तावेजात पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिग नोट किया गया। इसी दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशानिक अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक हाने से चिकित्साधिकारी ओसिया के नाम तहरीर क्रमांक स्पे0-1 दिनांक 20.09.2024 जारी कर कानि0 श्री रामकिशोर 13 मय पुलिस थाना ओसिया स्टाफ के साथ आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री श्रवणराम के रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त- 6.55 पी.एम पर पूर्व से पाबंद सुदा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के सहकर्मी श्री पवनकुमार सेवग व श्री भगवानसिह कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान के आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल एवं परिवादी श्री नैनाराम के मध्य हुई दिनांक 10.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 20.09.2024 को रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वायसॅ रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्डर हैं उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को कार्यालय के लेपटापॅ से जोडकर कार्यालय के लेपटापॅ के इनबिल्ट स्पीकर की सहायता से उक्त दोनो वार्ताओ के मुख्य-मुख्य अंश बारी-बारी से रुबरु गवाहान के पहचानकर्ताओ को सुनाई गई तो दोनो आवाज पहचानकर्ता श्री पवनकुमार सेवग व श्री भगवानसिह ने रिकार्ड वार्ता को सुन समझ तसल्ली कर बताया कि उक्त दोनो वार्ताओं मे एक आवाज राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ही हैं तथा उक्त रिकार्ड वार्ताओ मे दूसरी आवाज को हम नही पहचानते हैं। फर्द आवाज पहचान अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई ताबाद दोनो आवाज पहचानकार्ताओ को रुखसत दी गई। वक्त 7.30 पी एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री नैनाराम पुत्र अचलाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी जसनाथपुरा पोस्ट थोब तहसील ओसिया जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 20.09.2024 को हुई रूबरू रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वायसॅ रिकार्डर में लगे 8 जी.बी आरडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को रूबरू गवाहान के मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को कार्यालय के लेपटापॅ से जोडकर लेपटापॅ के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री अमरसिह कानि. 415 की सहायता से रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयज सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री नैनाराम द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायसॅ रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता की श्री अमरसिह कानि. 415 से कार्यालय के लेपटापॅ मे कांपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेपटापॅ की मदद से एक अन्य 8 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्ता 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 6.16 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्तः- 7.45 पी.एम पर श्री रामकिशोर 13 मय पुलिस थाना ओसिया स्टाफ के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री श्रवणराम के आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशानिक अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु गये हुए बाद आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल का स्वास्थ्य परीक्षण के मय स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के हाजिर आये जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी की स्वास्य परीक्षण रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल रंनिग जोट की गई। वक्तः- 7.50 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री नैनाराम पुत्र अचलाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी जसनाथपुरा पोस्ट थोब तहसील ओसिया जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 10.09.2024 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वायसॅ रिकार्डर में लगे 4 जी.बी आरडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। रिश्वती राशि मांग सत्यापन के मेमोरी

कार्ड को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा से निकालकर रूबरू गवाहान के डिजिटल वायसॅ रिकार्डर में डालकर उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को कार्यालय के लेपटापॅ से जोडकर लेपटापॅ के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री अमरसिह कानि. 415 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री नैनाराम द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता की श्री अमरसिह कानि. 415 से कार्यालय के लेपटापॅ मे कापी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेपटापॅ की मदद से एक अन्य 8 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 4 जीबी आरडी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 5.97 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्तः- 9.45 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु बन्द हवालात रखने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना कुडी भगतासनी पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के नाम तहरीर क्रमांक स्पे0-02 दिनांक 20.09.2024 जारी कर पत्रावली पर रखी गई। आईन्दा जोधपुर पहुंच आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल को बन्द हवालात करवाया जावेगा। वक्तः- 9.49 पी.एम पर मन अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सांवरमल श्री अशोक कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि0 13 के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के सामने की बायी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये एवं दिनांक 10.09.2024 को आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल व परिवादी श्री नैनाराम के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरीकार्ड, दिनांक 20.09.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे, परिवादी के कार्य से संबंधित रिकार्ड मय आरोपी का सेवा विवरण तथा प्रकरण की पत्रावली इत्यादि एवं डिजिटल वायसॅ रिकार्डर तथा गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा परिवादी श्री नैनाराम को हमराह लेकर पुलिस थाना ओसिया से सरकारी/निजी वाहनो से रवाना कार्यालय को हुई। तत्पश्चात वक्तः- 11.58 पी.एम पर मन निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री सांवरमल श्री अशोक कुमार, ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि0 13 के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के सामने की बायी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये एवं दिनांक 10.09.2024 को आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल व परिवादी श्री नैनाराम के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरीकार्ड, दिनांक 20.09.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे, परिवादी के कार्य से संबंधित रिकार्ड मय आरोपी का सेवा विवरण तथा प्रकरण की पत्रावली इत्यादि एवं डिजिटल वायसॅ रिकार्डर तथा गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा परिवादी श्री नैनाराम को हमराह लेकर पुलिस थाना ओसिया से सरकारी/निजी वाहनो से रवाना सुदा पुलिस थाना कुडी भगतासनी जोधपुर कमिश्नरेट पहुंच आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुरक्षा की दृष्टि से जरिये तहरीर बन्द हवालात करवाया जाकर ताबाद मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंच प्रकरण हाजा से संबंधित मालखाना आईटम क्रमंशः आरोपी राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के सामने की बायी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी, आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये, दिनांक 10.09.2024 को आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल व परिवादी श्री नैनाराम के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरी कार्ड तथा दिनांक 20.09.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना किया

गया। दिनांकः- 21.09.2024 को वक्तः- 12.20 ए.एम पर मन अनु चोधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण हाजा के स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री सावरमल एवं अशोक कुमार तथा परिवादी श्री नैनाराम को आज दिनांक को वक्त 9.00 ए.एम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित होने की हिदायत कर रुखसत दी गई। वक्तः- 10.00 ए.एम पर पूर्व से पाबंदसुदा स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री सावरमल एवं अशोक कुमार तथा परिवादी श्री नैनाराम कार्यालय पर उपस्थित आये। प्रकरण में परिवादी श्री नैनाराम द्वारा पेश शिकायत दिनांक 05.09.2024 में संग्दिध आरोपी का पदनाम ओ.ए. अंकित किया था तथा दरियाफ्त पर भी संग्दिध आरोपी का पदनाम ओ.ए. ही बताया था, परन्तु आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल के विरुद्व की गई वक्त ट्रेपकार्यवाही एवं आरोपी के प्राप्त किये गये सेवा विवरण मे आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल का पदनाम सहायक प्रशासनिक अधिकारी (एएओ) होना पाया गया हैं जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का पदनाम सहायक प्रशासनिक अधिकारी अंकित किया गया है। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री नैनाराम हैल्पर पी.ए.ई.डी थोब ओसियो जिला जोधपुर की वर्ष 2013 मे ज्यादा लगी एक वेतन वृद्वि की रिकवरी की राशि को एडजेस्टमेन्ट करने एवं तृतीय एसीपी देरी लगने के कारण उसका एरियर बनाने की एवज मे परिवादी से दिनांक 10.09.2024 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 10,000/-रुपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा दिनांक 20.09.2024 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से 10,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे रखना जहां से रुबरु गवाहान के उक्त रिश्वती राशि 10,000/- रुपये बरामद होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। आरोपी का उक्त कृ्त्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री देवीलाल जाति जीनगर उम्र 53 साल पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर एफ-37 अम्बेडकर पार्क के पीछे प्रताप नगर जोधपुर हाल-सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर के दोनो हाथो के अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवनो का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी एवं हल्का मटमेला आना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब का लिया गया धोवन हल्का गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमंाकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। (अनु चोधरी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री देवीलाल उम्र 53 साल निवासी मकान नम्बर एफ-37 अम्बेडकर पार्क के पीछे प्रताप नगर जोधपुर हाल-सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग उप खण्ड ओसियां जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टै जोधपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 322 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1128-1131 दिनांक 21-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर प्रथम। 2-मुख्य अभियन्ता जल (प्रशासन) जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)